



2026:AHC:30664-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19808/2025

भारत संघ एवं 5 अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

सुशील कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : कृष्ण अग्रवाल

प्रतिवादी के अधिवक्ता : श्यामल नारायण, जसवंत सिंह

न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह याचिका केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इलाहाबाद पीठ, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा अधिकरण ने प्रतिवादी को पे-बैंड-II में 9300-34800 रुपये के गैर-कार्यात्मक ग्रेड (एनएफजी) वेतनमान में 5400 रुपये के ग्रेड-पे के साथ सभी परिणामी लाभों सहित वेतन पुनर्निर्धारण की राहत प्रदान की थी। यह लाभ उस तिथि से प्रभावी माना गया था जब उसने 4800 रुपये के ग्रेड-पे में नियमित सेवा के चार वर्ष पूरे कर लिए थे, साथ ही 6% वार्षिक की साधारण ब्याज दर के साथ मूल आवेदन निस्तारित किया गया था।
2. यह निवेदन किया गया है कि हालांकि प्रतिवादी को दिए गए गैर-कार्यात्मक ग्रेड से संबंधित राहत पर प्रश्न नहीं उठाया जा रहा है, किंतु वर्तमान याचिका केवल 6% वार्षिक ब्याज दिए जाने तक सीमित है।
3. आगे यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता इन सभी वर्षों में प्रतिवादी के दावे का विरोध कर रहे थे और एक बार जब मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 'एम. सुब्रमण्यम' के मामले में दिए गए निर्णय के आधार पर राहत प्रदान कर दी गई है और यह निष्कर्ष निकाला गया कि उक्त निर्णय सभी संबंधितों पर लागू था, तो राहत प्रदान करने पर प्रश्न न उठाते हुए भी, ब्याज दिया जाना उचित नहीं है।
4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने विवादित आदेश का समर्थन किया। यह दलील दी गई कि याचिकाकर्ता द्वारा ब्याज दिए जाने के विरुद्ध दी गई चुनौती न्यायोचित नहीं है क्योंकि केवल 6% वार्षिक का साधारण ब्याज दिया गया है, अतः याचिका खारिज की जानी चाहिए।
5. हमने प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।
6. यह निर्विवाद है कि जिस निर्णय ने प्रतिवादी को राहत देने का आधार बनाया, वह वर्ष 2010 में सुनाया गया था और वर्ष 2017 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय तथा वर्ष 2018 में पुनर्विचार याचिका खारिज होने के साथ वह अंतिम हो गया था। प्रतिवादी वर्ष 2021 में ही गैर-कार्यात्मक ग्रेड के लाभ का हकदार हो गया था, तथापि, उसे यह लाभ प्रदान नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2024 में याचिका दायर की गई। इसे 'एम. सुब्रमण्यम' (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय का अनुसरण करते हुए

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



स्वीकार किया गया और राहत को 'भारत संघ एवं अन्य बनाम तरसेम सिंह: (2008) 8 एससीसी 648 के मामले में दिए गए निर्णय के आधार पर सीमित रखा गया अर्थात् अधिकरण के समक्ष आवेदन दायर करने की तिथि से तीन वर्ष पूर्व तक और 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया गया।

7. चूँकि प्रतिवादी की पात्रता वर्ष 2021 से ही थी और उसे लाभ नहीं दिया गया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अधिकरण द्वारा उस राशि पर ब्याज देना वह भी 6% वार्षिक की दर से उचित नहीं था, जिसका प्रतिवादी हकदार था; इसे अत्यधिक भी नहीं कहा जा सकता। ब्याज दिया जाना प्रतिपूरक प्रकृति का है और याचिकाकर्ताओं को इसे इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि यह उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का दंडात्मक आदेश है।

8. उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, हमें अधिकरण द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। याचिका में कोई सार नहीं है और इसीलिए इसे खारिज किया जाता है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

11 फरवरी, 2026

संदीप/शाजिया

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"